प्रेस विज्ञप्ति

13/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोलकाताआंचलिक कार्यालय ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन कोर मैनेजमेंट (सीसीएम) कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और सहारा ग्रुप के लंबे समय से सहयोगी और प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया है। उक्त गिरफ्तारी सहारा इंडिया और उसकी समूह संस्थाओं के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी।

अनिल वी अब्राहम ने सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री के समन्वय और सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से कई में पर्याप्त बेहिसाब नकद घटक शामिल थे जिन्हें हटा दिया गया था। जेपी वर्मा इनमें से कई संपत्ति लेनदेन को निष्पादित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे और जानबूझकर इन बिक्री लेनदेन से उत्पन्न बड़ी नकद आय को ठिकाने लगाने में सहायता करते थे, जिससे अपराध की आय (पीओसी) को छुपाने और नष्ट करने में मदद मिलती थी। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी कार्रवाइयों के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य बरामद किए गए। इस तरह के साक्ष्य से संकेत मिला कि सहारा समूह की संपत्तियों को एक-एक करके गुप्त तरीके से निपटाया जा रहा था। विभिन्न डिजिटल साक्ष्यों से यह भी पाया गया कि इन 2 व्यक्तियों अर्थात अनिल वी अब्राहम और जेपी वर्मा ने ऐसी संपत्तियों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और धन की निकासी में सहारा समूह के प्रमोटरों की सहायता की थी। भारत के बाहर रहते हुए प्रमोटरों को इस तरह के कदाचार में शामिल पाया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को 12/07/2025 को तीसरे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोलकाता के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 14/07/25 तक ईडी को रिमांड देने की कृपा की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा मैसर्स हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120ख, 1860 के तहत दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। विभिन्न सहारा समूह संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिसमें पीएमएलए के तहत 300 से अधिक अनुसूचित अपराध शामिल हैं, जिसमें जबरन पुनर्जमा और परिपक्वता भुगतान से इनकार के माध्यम से जमाकर्ताओं की बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ईडी की जांच से पता चला कि सहारा समूह उच्च रिटर्न और कमीशन के वादों के साथ जमाकर्ताओं और एजेंटों को लुभाकर एचआईसीसीएसएल, एससीसीएसएल, एसयूएमसीएस, एसएमसीएसएल, एसआईसीसीएल, एसआईआरईसीएल, एसएचआईसीएल और अन्य जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक पोंजी योजना का संचालन कर रहा था। निधियों को जमाकर्ता की निगरानी के बिना अनियमित तरीके से प्रबंधित किया गया था, परिपक्वता आय को जबरदस्ती या गलत बयानी के तहत पुनर्निवेश के बजाय चुकाया नहीं गया था, और इस तरह के गैर-पुनर्भुगतान को छुपाने के लिए बही खातों में हेरफेर किया गया था। वित्तीय अक्षमता के बावजूद, समूह ने नई जमा राशि एकत्र करना जारी रखा, जिसका एक हिस्सा बेनामी संपत्ति और व्यक्तिगत खर्चों के लिए निकाला गया था। आगे जमाकर्ताओं के सही दावों को नकारते हुए समूह की परिसंपत्तियों को आंशिक नकद भुगतान के लिए भी बेचा गया था।

जांच के दौरान, पीएमएलए की धारा 50 के तहत जमाकर्ताओं, एजेंटों, सहारा समूह के कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें 2.98 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। तत्काल मामले में दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें एएमबीवाई घाटी में 1460 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य वाली 707 एकड़ भूमि और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड में 1538 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य वाली 1023 एकड़ भूमि को पीएओ दिनांक 15/04/2025 और 23/04/2025 के माध्यम से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच चल रही है |